



कायालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(ISO 9001% 2000 Certified)

"पंचदीप भवन", भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302001

टेलीफोन .0141-2221631 फैक्स.0141-2222047

ई मेल- rd-rajasthan@mail.nic.in

वेबसाइट-www.esicrajasthan.com

क्रमांक : 15-ए-45/13/2/10/एसआरओ-यूडीआर-स्था.

दिनांक : 04.06.2010

वर्ष 2010 का कार्यालय आदेश संख्या 183(ई.)

क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने निम्नलिखित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश प्रदान किए हैं:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद (सर्वश्री/श्रीमती)	वर्तमान तैनाती स्थान	अब तैनाती स्थान	वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होने की तिथि
1.	विलासनी पी. के., कार्यालय अधीक्षक	उप क्षे. कार्या., उदयपुर	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	24.06.10
2.	गिरधर गोपाल शर्मा, सहायक (तदर्थ)	उप क्षे. कार्या., उदयपुर	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	14.06.10
3.	नाथू सिंह, वरिष्ठ लिपिक	उप क्षे. कार्या., उदयपुर	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	15.06.10
4.	टीकाराम मीणा, सहायक	उप क्षे. कार्या., उदयपुर	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	18.06.10
5.	बालकृष्ण खूटेटा, वरिष्ठ लिपिक	उप क्षे. कार्या., उदयपुर	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	23.06.10
6.	सरोज खरबन्दा, कार्यालय अधीक्षक	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	उप क्षे. कार्या., उदयपुर	14.06.10(अप.)
7.	राजेन्द्र कुमार वशिष्ठ, सहायक	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	उप क्षे. कार्या., उदयपुर	07.06.10(अप.)
8.	लाजवन्ती जेठानी, सहायक	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	उप क्षे. कार्या., उदयपुर	08.06.10(अप.)
9.	धरमवीर खुराना, वरिष्ठ लिपिक	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	उप क्षे. कार्या., उदयपुर	14.06.10(अप.)

उक्त वर्णित सभी कर्मचारी उनके नाम के सामने अंकित तिथियों को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त समझे जायेंगे तथा सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण लोकहित में रोटेशनल आधार पर किया गया है अतः उन्हें नियमानुसार ज्वाइनिंग समय एवं स्थानान्तरण भत्ता आदि देय होगा। क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर से उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में स्थानान्तरित किए जाने वाले सभी कर्मचारी नए तैनाती स्थान पर कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए (छुट्टी की अवधि छोड़कर) तैनात किये गये हैं और एक वर्ष पश्चात् उनके प्रार्थना पत्रों पर उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर से रोटेशनल आधार पर उनके द्वारा मांगे गये स्थान पर रिक्त पद होने पर स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा तथा उन्हें भी नियमानुसार ज्वाइनिंग समय एवं स्थानान्तरण भत्ता आदि देय होगा।

क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के वर्ष 2010 के कार्यालय आदेश संख्या 43(ई.) दिनांक 04.03.2010 के द्वारा श्री धरमवीर खुराना, वरिष्ठ लिपिक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के प्रभागीय कार्यालय, जोधपुर में किये गये आदेश को क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के कार्यालय आदेश संख्या 69(ई.) दिनांक 19.03.2010 द्वारा एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया था परन्तु प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेशों पर पुनः विचार करते हुए श्री खुराना के उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में स्थानान्तरण के आदेश प्रदान किये गये हैं।

(एच. के. सैनी)

उप निदेशक(प्रशासन)

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित कर्मचारी।
2. संयुक्त निदेशक(प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उदयपुर।
3. संयुक्त निदेशक(प्रभारी), प्रभागीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक(सतर्कता), उत्तरी क्षेत्र, मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली।
5. सभी शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राजस्थान क्षेत्र।
6. सभी शाखाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
7. सहायक, प्रशासन शाखा, वेतन निर्धारण/सतर्कता/प्रोबेशन पीरियड/स्टेटमेन्ट/रिकॉर्ड में प्रविष्टि दर्ज करने हेतु।
8. सचिव, एसिक बचत एवं साख सहकारी समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
9. व्यक्तिगत पत्रावली/सुरक्षा पंजिका।